



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218713  
CG-DL-E-17032020-218713

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941

No. 145]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

सा.का.नि. 169(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 3, धारा 7 की उप-धारा (1) और धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2020 है।  
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के अनुलग्नक में प्ररूप सं. आईएनसी-28 की क्रम सं. 5 में, खंड (क) में उप-खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(iii) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया।”

[फा.सं.1/13/2013-सीएल-V, खंड. IV]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.250(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए और संख्यांक सा.का.नि. 128(अ), तारीख 18 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2020

**G.S.R. 169(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (1) of section 7 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the **Companies (Incorporation) Rules, 2014**, namely: -

1. (1) These rules may be called the **Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2020**.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014, in the Annexure, in Form No.INC-28, in serial number 5, in clause (a) after sub-clause (ii), the following shall be inserted, namely:-

“(iii) Section of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 under which order passed”.”

[F. No. 1/13/2013- CL-V, Vol. IV]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and last amended *vide* number G.S.R.128 (E) dated the 18<sup>th</sup> February, 2020.